राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 332/2016..... जिला : .जयपुर.

मैसर्स श्रीपति कम्प्यूटेक प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** **श्री मदन लाल,सदस्य**	र
18.02.2016	अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक 199/अपील्स/तृतीय/स्थगन/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.12.2015 में कायम मांग राशि रू. 43,86,873/– पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 28,12,098/– पर रोक लगाते हुए शेष राशि रू. 15,74,775/–रोक लगाने से इनकार किये के कारण शेष राशि रू. 15,74,775/–की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है । अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने स्थगन प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित वस्तु मेमोरी कार्ड की बिक्री पर अपीलार्थी ने 5 प्रतिशत की दर कर वसूल किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं की बिक्री को 14 प्रतिशत से कर योग्य मानकर 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित करते किया है,जो विधि सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि रू. 28,86,098/–पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि रू. 15,74,775/–की वसूली पर रोक लगाने से इनकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अपने स्थगन आदेश में अंकित नहीं किया है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष होने का का कथन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश में विवादित शेष राशि रू. 15,74,775/– को स्थगित करने का निवेदन किया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 81 से 86/2016/जयपुर मैसर्स राशि पेरिफेकल्स प्रा.	

लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम,जयपुर निर्णय दिनांक 07.01.2016 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में भी विवादित वस्तु मैमोरी कार्ड पर कर दर विवादित होने का बिन्दु निहित होने पर स्थगन प्रदान किया गया है।

प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 81 से 86/2016/जयपुर मैसर्स राशि पेरिफेकल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम,जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2016 का अवलोंकन किया गया, जिसमें मैमोरी कार्ड की बिक्री पर कर दर का बिन्दु निहित होने पर स्थगन प्रदान किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित वस्तु मेमोरी कार्ड की बिक्री पर **कर की दर का विवाद अपील में अंतर्ग्रस्त (involve) है**। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि को पूर्ण रूप से स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं कर स्थगन आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी के आदेश में विवादित शेष राशि रू. 15,74,775/–के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

18.2.16

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य